वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक : 20 मार्च 2020

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

निर्भया को मिला न्याय, हत्यारों को फांसी वास्तविक श्रद्धांजलि: अभाविप

निर्भया के हत्यारों तथा बलात्कारियों को आज सुबह दी गई फांसी की सजा से निर्भया तथा परिवार को न्याय सुनिश्चित हुआ है, जो एक वास्तविक श्रद्धांजलि है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अभाविप ने निर्भया के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था तथा बलात्कारियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी।

न्यायालय में चला यह मामला ऐतिहासिक है, उल्लेखनीय है कि 6 में से 4 आरोपियों को फाँसी दी गयी। एक आरोपी ने आत्महत्या की थी, दूसरे आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम (नाबालिग) होने के कारण उस समय जूवनायल क़ानून के अनुसार सज़ा मिली जिसके उपरांत पूरे देश में एक उबाल आ गया और आक्रोशित युवा न्याय की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए थे। इस मामले के चलते ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार हुआ, तथा 16 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए अपराध संबंधी कानून में सुधार हुआ, जिससे उम्र की आड़ में गंभीर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति बच न सके।

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री विनीता इन्दवार ने कहा कि,"निर्भया के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, पूरे देश का युवा इस बात पर एकमत था कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इस मामले ने कई कानूनों में सुधार की जो गुंजाइश थी उसको भी पूरा किया। अब हम सभी युवाओं को सजग रहकर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित और बराबरी का वातावरण निर्माण हो सके।"

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि,"अंततः आज बलात्कारी दरिंदों को उनके कुकर्मों की सजा मिल गई। देश में आज भी अनेक निर्भया न्याय हेतु संघर्षरत हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनका शीघ्र निदान होना चाहिए। बलात्कार एक मानसिकता है, जिसको खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। कानून का भय और समाज की सकारात्मक सोच दोनों मिलकर ही इस मानसिकता को परास्त कर सकती है।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)